न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1.पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा

2. प्रकरण संख्या : 49 / 2018

3. उनवान : ग्राम पंचायत जोरपुरा, (सुन्दरियावास) पंचायत समिति सांभर लेक जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास), तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती ज्ञानी देवी पत्नी चौथमल जाट, निवासी ग्राम डूंगरी, पचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास), तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. महेश कुमार आसीवाल पुत्र श्री नारायण लाल, जाति खटीक, निवासी ग्राम बेणियों का बास, पोस्ट हिंगोनिया, वाया जोबनेर, जिला जयपुर।

–विपक्षीगण

4. निर्णय दिनांक : 14 / 08 / 2024

5. अधिवक्तागणों का नाम :अ) अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद चौधरी निगरानीकार की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी नं. 1
दिनांक 20.01.1992 को ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
करने पर प्रशासक ग्राम पंचायत से बिना मौके की जाँच करवाये मनमाने तरीके से बिना
कोई नोटिस दिये एक नक्शा तैयार करा लिया और विपक्षी नं. 1 ने प्रशासक से एक
निःशुल्क पट्टा दिनांक 06.06.1992 को 150 वर्गगज भूखण्ड का आवासीय पट्टा जारी करा
लिया। पंचायत नियमों के तहत निःशुल्क पट्टा केवल भूमिहीन, गरीब, अनुसूचित जाति व
अनुसूचित जनजाति, चयनित परिवार, विकलांग आदि को ही जारी किया जा सकता है।
विपक्षी नं. 1 के पास पहले से आवासीय भूखण्ड है और उसके पास कृषि भूमि भी है।
फिर भी ग्राम पंचायत ने विपक्षी नं. 1 को सीमान्त कृषक की श्रेणी में मानकर निःशुल्क प
ट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क पट्टा जारी करते समय पट्टेधारी के समक्ष यह
शर्त रखी जाती है कि केवल उस पट्टे का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु स्वयं ही कर
सकेगा तथा भविष्य में कभी भी उसका बेचान नहीं किया जा सकेगा और न ही उसको
अन्य प्रयोजनार्थ काम में लिया जा सकेगा। इन प्रावधानो के होते हुये भी विपक्षी नं. 1 ने
विवादग्रस्त भूमि का पट्टा मनमाने तरीके से बेचान कर दिया। विपक्षी नं 1 ने ग्राम पंचायत
के नियमों का पालन नहीं किया तथा जारी आवासीय भूखण्ड के पट्टे को वाणिज्यक
प्रयोजनार्थ काम में लेने के लिए उस पर दुकाने बना दी और उसको अपने निजी स्वार्थो
के लिए बेचान कर दिया। विपक्षी न. 1 को पट्टाशुदा आवासीय भुखण्ड को बेचान का कोई
कानूनन अधिकार नहीं है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता की निगारानी स्वीकार की जाकर विपक्षी नम्बर 1 के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 25 दिनांक 06.06.1992 ग्राम पंचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास) को निरस्त किया जावे व निर्माणशुदा दुकाने मय माल मेटिरियल सहित पंचायत कोष में जमा कराने के आदेश प्रदान करें।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में अंकित किया गया है कि उक्त आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 21.06.2008 को विकास अधिकारी सांभरलेक के पत्र क्रमांक प.स.सा/पंचा./2008/1601 प्राप्त होने पर हुई। अतः विलम्ब अवधि जानकारी के अभाव में माफ किये जाने योग्य है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट उपस्थित हुए।

गैर निगरानीकार ने जवाब प्रार्थना पत्र दफा 5 प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया गया कि उक्त पट्टा दिनांक 21–04–1992 को ग्राम पंचायत/निगरानीकार के द्वारा ही जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में जिस संस्था के द्वारा पट्टटा जारी किया गया है, उसे जानकारी नही हो, संभव नहीं है। जिस संस्था के द्वारा पट्टा/आदेश पारित किया गया है, उसे स्वयं को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार से जानकारी होना उल्लेख किया गया है संतोषप्रद कारण नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार ने अपनी निगरानी के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद के बिन्दू में कोई युक्ति कारण नहीं तकमील किया गया है कि इतनी दीर्घ अवधि पश्चात् यह निगरानी किस उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। विधि की मंशा के अनुसार रिजन मिसिंग हो तो मियाद अवधी को किसी अवस्था में कंडोन नहीं किया जा सकता है। जैसे 2005 (11) एस.सी.सी. 197, ए.आई. आर. 2000 एस.सी.–3462, 2004 आर.आर.टी–937, 2002 आर.आर.डी.–26, 2000 डब्ल्यू एल. सी. (1) राज.–539

दीर्घ अवधि से सम्बंधित प्रत्येक दिन की देरी बाबत् कोई संतुष्टप्रद कारण अंकित नहीं किया गया हो तो न्यायालय का यह विधिक कतर्व्य है कि :– delay can not be condoned only on symphatic ground जैसे 2007 आर.आर.टी.–1316, 2007 (2) एस. सी. 3सी 322, 2005 एस सी सी (2) –3460, ए.आई आर 1998 एस.सी 2276

निगरानीकार की निगरानी belated appeal की संज्ञा में समाहित होने के कारण तथा निगरानीकार को उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लॉकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं है। जैसे 2006 आर.आर.टी –531, 1171, 2013 आर. आर.टी.–58, 2005 आर.बी.जे.–35, 2011 आर. आर.टी. –1419

माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू पर स्पष्ट किया जा चुका है कि law of limitation is not only a formality. 2015 RRT(1)-232 SC. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि स्थापित की है कि:– delay can not be condoned when the party him self was not vigilent or extra inordenary delay के लिये satisfactory explanation is necessary जैसे 2015 आर.आर. टी (1) 435 डी.बी. एच.सी.।

अन्त में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम पर खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया है कि चौथमल पुत्र भूरा राम जाट एवं उसकी पत्नी ज्ञानी देवी ने दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश कर उनकी कब्जेशुदा आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु मय नक्शा प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 20/1/92 को तत्कालीन प्रशासक रामचन्द्र शर्मा ने आबादी भूमि के मौका का नक्शा सचिव प्रशासक बनाकर आगामी मीटिंग में पेश करने के आदेश दिये। दिनांक 21/4/92 को सचिव द्वारा मौके का नक्शा पेश किया गया। चौथमल सीमान्त कृषक की श्रेणी में पति के नाम भूमि होने से उक्त भूमि चौथमल की पत्नी प्रार्थीया के नाम आई। उक्त भूमि पर करीब 20 वर्षों से काबिज है। अन्य किसी का कब्जा नहीं है। विवादित भूमि के उत्तर दिशा में चौथमल की काश्त की भूमि है, दक्षिण में 35′ छोड़कर खीरवा रोड बनी है, पूर्व में चौथमल की आबादी भूमि पडत है। प्रार्थीया की आबादी भूमि की लम्बाई उत्तर दक्षिण 30′ है, पूर्व पश्चिम 45′ कुल 150 वर्ग गज बनता है। इसी प्रकार उसके पड़ोस में उसके पति चौथमल 30′X45′ का, उसके लगवा दोनों ओर पक्की सड़क, एक ओर रेनवाल एवं दूसरी ओर खीरवा जाने वाली सड़क है। अतः उक्त की पालना में प्रार्थीनी (ज्ञानी देवी) एवं उसके पति को 150–150 वर्ग गज का निःशुल्क पट्टा दिया गया। तत्कालीन राज. पंचायत रुल 1961 के तहत धारा 267 के तहत 'प्रशासक' को निशुल्क पट्टा दिया जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

रुल्स 267 के तहत –Allotment of Lands Free of charge-

1. In relation to allotment of lands within the Panchayat Circle Free of charge for residential houses Under Section 31 of R-T- Act 1955 the Provision of rules 8 to 17 of Rej. Tenancy (Govt- Rules 1955) Shall apply mutatis mutandis.

2(a)The Panchayat may also allot abadi Land up to 150 Sq. Yds. in Village abadis free of charge to member's the S.C/S.T, backward classes Village artians and land less Laborress Who do not own house, Site houses and also to flood victims whose houses have been washed away or the house Site have been rendered Unift for future habitation due to floods.

उक्त दोनों प्रकरण में तत्कालीन पंचायत नियम 255 से 269 तक की पालन नहीं जाकर उक्त निर्णय दिनांक 21/4/92 की पालना विपक्षी चौथमल को पट्टा संख्या 24 दिनांक 6/6/1992 एवं पट्टा संख्या 25 दिनांक 6/6/1992 जारी किये हैं। उक्त पट्टों को पंचायत राज विभाग राज. सरकार द्वारा जाँच में निरस्त करने की कार्यवाही की। ऐसी स्थिति में सरपंच को विकास अधिकारी पं.स. सांभर एव जिला परिषद जयपुर द्वारा निगरानी पेश करने की हिदायत दी। अप्रार्थीगण चौथमल एवं ज्ञानीदेवी का पहले से गांव में आबादी में करीब 400 वर्ग गज पक्का मकान बना हुआ है। नियमों की पालना नहीं करने के कारण RAJASTHAN PANCHAYAT ACT 1994-Section 97 के तहत कभी भी चुनौती दी जा सकती है। दोनों पट्टों की भूमि पर 10 दुकानें बनाकर उक्त दुकानों का विक्रय किया गया है। तत्कालीन सचिव उक्त पट्टों की शिकायत पर राज्य सरकार जांच में अनियमित पाये जाने उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग जयपुर के दिनाङ्क 2/12/991 की अधिसूचना के अनुसार ऐसे निर्णय/आदेश जानकारी में आने पर किसी भी समय कार्यवाही की जा सकती है।

अन्त में 1998 RRD 319 H.C. 2018(1) RRT 186 H.C एवं 2022 RBJ 263 का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास) प.स. सांभर जिला जयपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 24 एवं 25 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि न्यायालय के समक्ष निगरानीकार द्वारा दिनांक 21-04-1992 के आदेश व पट्टा दिनांक 06-06-1992 के विरूद्ध निगरानी लगभग 16 वर्ष पश्चात् पेश की है। उक्त निगरानी स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई है। जिसमें ग्राम पंचायत ने मौके पर भूखण्ड में निर्माण होना भी उल्लेख किया है तथा उक्त पट्टे के बाद में करीब 3 बार ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो चुके है। विकास अधिकारी व अन्य ने अपने जांच प्रार्थना पत्र में जांच की कि पट्टा संख्या 25 पर निर्माण कार्य कर लिया गया है तथा उक्त भूखण्डों को विक्रय नहीं किया जा सकता है। पट्टा दिनांक 21-04-1992 को ग्राम पंचायत/निगरानीकार के द्वारा ही जारी किया गया था। जिस संस्था के द्वारा पट्टा जारी किया गया है उसे जानकारी नही हो संभव नहीं है। जिस संस्था के द्वारा पट्टा/आदेश पारित किया गया है, उसे स्वयं को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त नही है। निगरानीकार ने अपनी निगरानी के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद के बिन्दू में कोई युक्ति कारण नही तकमील किया गया है। विधि की मंशा के अनुसार मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में रीजन मिसिंग हो तो मियाद अवधि को किसी अवस्था में कंडोन नहीं किया जा सकता है। यदि मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई मियाद सम्बंधित युक्ति युक्त कारण तकमील नही किया गया हो तथा ना ही दीर्घ अवधी से सम्बंधित प्रत्येक दिन की देरी बाबत् कोई संतुष्ट प्रद कारण अंकित नहीं किया गया हो तो न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि :- delay can not be condoned only on symphatic ground जैसे 2007 आर.आर.टी.-1316, 2007 (2) एस. सी.3सी 322, 2005 एस सी सी (2) -3460, ए.आई आर 1998 एस.सी 2276

निगरानीकार की निगरानी belated appeal की संज्ञा में समाहित होने के कारण तथा निगरानीकार को उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत करने की कोई लॉकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं है। जैसे 2006 आर.आर.टी -531, 1171, 2013 आर. आर.टी.-58, 2005 आर.बी.जे.-35, 2011 आर. आर.टी.-1419

माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दू पर स्पष्ट किया जा चुका है कि law of limitation is not only a formality. 2015 RRT(1)-232 SC. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि स्थापित की है कि:- delay can not be condoned when the party him self was not vigilent or extra inordenary delay के लिये satisfactory explanation is necessary जैसे 2015 आर.आर. टी (1) 435 डी.बी. एच.सी.।

निगरानी बहस में अंकित किया गया है कि न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया है, क्योंकि निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बंधित पंचायत समिति में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी में वर्णित पट्टा संख्या 25 गैर निगरानीकार के हक में जारी किया गया था। केवल मात्र सरपंच प्रतिनिधी बदलने से स्वयं ग्राम पचायत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का निगरानी कोई माध्यम नहीं है। किसी अन्य प्रभावित/पीडित व्यक्ति द्वारा ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को चुनौती दी जा सकती है तथा स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी मीमो में यह माना है कि पट्टाधीन भूखण्ड पर आवासीय भूखण्ड बनाया हुआ है। जब ग्राम वासियों द्वारा ग्राम पंचायत से विधिक रूप से पट्टा जारी होने के बाद स्वयं के आवास हेतु निर्माण भी कर लिया है, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रावधान के तहत पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। पट्टाधारी विकलांग की पत्नी है व सीमान्त कृषक है व स्वयं ग्राम पंचायत ने अपने नियमों के अधीन समस्त जांच पडताल कर पट्टा जारी करने

जयपुर

की कार्यवाही की गई है। निगरानीधीन पट्टा किसी भी दीगर व्यक्ति को विक्रय नही किया गया है। निगरानीधीन पट्टे की मालिक स्वंय ज्ञानी देवी है तथा मौके पर गैर निगरानीकार व उसका परिवार पुख्ता निर्माण कर निवास करते आ रहे हैं। अतः निगरानीकार के निगरानी खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में निगरानीधीन पट्टा संख्या 25 दिनांक 06.06.1992 को जारी किया गया है जबकि निगरानीकार द्वारा निगरानी 16 वर्ष पश्चात पेश की गई। निगरानीकार ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील को देरीना प्रस्तुत करने हेतु कोई स्पष्ट संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपील को वर्ष 2004 से वर्ष 2022 के मध्य 17 वर्ष की दीर्घावधि देरीना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त, स्पष्ट, संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2016(1) Civil Times (Raj) 160 Rajasthan High Court Renu Devi V/s State of Rajasthan & Ors. S.B. Civil Writ Petition No. 13197 of 2015

"Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994- Sec. 97-Cancellation of patta- Revision filed after 24 years- Act does not provide provisions of limitation- Inordinate delay in filing revision-Revision cannot be entertained-Period of limitation prescribed for civil proceeding may be taken as guidelines-Revision rightly dismissed-Held, Order not interfered with."

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–पट्टा निरस्त करना–निगरानी 24 वर्ष पश्चात् पेश की गयी–अधिनियम में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं–असामान्य विलम्ब–निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती–परिसीमा हेतु सिविल कार्यवाहियों हेतु जो समय सीमा विहित है वही दिशा निर्देशक कारक के रूप में होना चाहिये–निगरानी सही खारिज की गयी–निर्णीत, आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

Para 6- "It is now well-settled law that while no period of limitation is fixed but in normal course of events the period the party is required for filing a civil proceedings ought to be the guiding factor. It goes without saying that a revisional jurisdiction conferred by virtue of Section 97 of the Act is discretionary in nature, and therefore, revisional authority while exercising its jurisdiction can very well invoke equitable doctrine namely 'delay defeat equity. Equity favours a vigilant rather than indolent litigant and this being the basic tenet of law, the learned Additional Collector has not committed any jurisdictional error in declining to exercise its revisional jurisdiction."

RRT 2013 (1) पृष्ठ सं0 61 Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer द्वारा 'Bhagwati Kanwar V/s Vikram Singh & Ors' Revision LR I.D. No. 3628/Sikar of 2012 निर्णय दिनांक 13/06/12 के पैरा सं0 15 में अंकित किया है:–

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993(2) एस.सी.सी. 162 पर अवधारित किया है कि

"The law of limitation may operate harshly but it has to be applied with all it's Vigour and the Courts and tribunals cannot come to the aid of whose who sleepover their right and allow the period of limitation expire"

अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

ग्राम पंचायत जोरपुरा बनाम ज्ञानी देवी

इसी न्यायिक दृष्टांत के पैरा सं0 14 में अंकित किया है "अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2006(2) आर.आर.टी. 1092 के अनुसार तो "without Condoning the delay appeal is not competent" अर्थात विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राह्य है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। आर.बी.जे. (14) 2007 एस.सी. 438 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि "When there is no satisfactory reason for condoning delay it cannot be condoned."

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। चूँकि निगरानीकार का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः मियाद अवधि कण्डोन न होने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं रहने के कारण निगरानीकार की निगरानी मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है। जब मियाद के बिन्दु पर ही निगरानी को खारिज कर दिया गया है तो निगरानी के सन्दर्भ में गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं है। तदानुसार निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर